

- (1) श्री सुरेश पिता श्री स्व. श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया  
(2) श्रीमती अरुणा पति श्री सुरेश भदौरिया  
(3) श्री संजय पिता श्री स्व. श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया,  
निवासी- 9, गुलमोहर कॉलानी, इन्दौर (म.प्र.)

**विषय :-** ग्राम खजरानी स्थित आर.के. पुरम कॉलोनी इंदौर ए.बी. रोड पर स्थित के प्लॉट क्रमांक 2, 5, 6, एवं 7 कुल क्षेत्रफल 1665.12 वर्गमीटर भूमि पर वाणिज्यिक भूखंड हेतु संयुक्तिकरण बाबत।

**संदर्भ:-** आपका ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 6967 दिनांक 04/09/2020.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आवेदक (1) श्री सुरेश पिता श्री स्व. श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया (2) श्रीमती अरुणा पति श्री सुरेश भदौरिया (3) श्री संजय पिता श्री स्व. श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी- 9, गुलमोहर कॉलानी, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम खजरानी स्थित आर.के. पुरम कॉलोनी इंदौर ए.बी. रोड पर स्थित के प्लॉट क्रमांक 2, 5, 6, एवं 7 कुल क्षेत्रफल 1665.12 वर्गमीटर भूमि पर वाणिज्यिक भूखंड हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(क) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 22(क)(3)(1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वाणिज्यिक भूखण्डों के संयुक्तिकरण हेतु कार्यालय द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 22(क)(6) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3935-3942 दिनांक 07/10/2020 द्वारा सार्वजनिक सूचना पत्र जारी किया गया था एवं कलेक्टर, जिला इन्दौर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर, तहसीलदार, तहसील इन्दौर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तह. व जिला इन्दौर को भी सूचना प्रेषित की गई। आवेदक द्वारा सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 17/10/2020 को दो दैनिक समाचार पत्रों पिपुल्स समाचार एवं चौथा संसार में करवाया गया। प्रश्नाधीन भूखण्डों के वाणिज्यिक उपयोग में संयुक्तीकरण के संबंध में प्रकाशित सूचना पर निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं आवेदक द्वारा विषयांकित भूखण्ड के आसपास के भूखण्ड स्वामियों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4046-4049 दिनांक 14/10/2020 द्वारा विषयांकित भूखण्डों पर वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु संयुक्तिकरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था। उक्त संबंध में न ही कोई हितबद्ध व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए और ना ही किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लिखित/मौखिक रूप से कार्यालय में प्राप्त हुई। तदनुसार प्रकरण का परीक्षण किया गया।

विषयांकित भूमि ए.बी. रोड मुख्य मार्ग पर स्थित है। इन्दौर विकाय योजना 2021 अनुसार ए.बी. रोड की चौड़ाई 60.0 मीटर प्रस्तावित है। इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार ए.बी. रोड को वाणिज्यिक मार्ग प्रस्तावित किया गया है तथा इन्दौर विकास योजना 2021 की सारणी 3.7 के फुटनोट अनुसार वाणिज्यिक मार्गों पर भू-तल एवं उपरी तलों पर वाणिज्यिक गतिविधियों सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेंगी। भूखण्ड के सामने स्थित मार्ग की चौड़ाई (आर.ओ.डब्ल्यू.) के बराबर वाणिज्यिक उपयोग मान्य होगा। शासन द्वारा दिनांक 15/04/2016 द्वारा विकास योजना 2021 में हुए संपोधन अनुसार लेख है कि:- इन मार्गों पर पूर्व में स्वीकृत अभिन्यास में स्वीकृत उपयोग परिसर को परिवर्तन कर स्वीकृत उपयोग अंतर्गत अनुमत उपयोग परिसर को अनुमति दी जा सकेगी।

विषयांकित वाणिज्यिक भूखण्डों के संयुक्तिकरण के संबंध में सूचना के प्रकाशन उपरांत हितबद्ध व्यक्तियों/संबंधित विभागों से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक के साथ संलग्न भू-स्वामित्व दस्तावेजों तथा शपथ पत्र के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि, भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 1665.12 वर्गमीटर भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 22(क)(2)(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के तहत संयुक्तिकरण किया जाता है:-

Signature valid  
Digitally signed by K. Mudgal  
Date: 2020.11.16 16:57:52 IST

1. विषयांकित भूखण्डों के विलयन पश्चात् संलग्न मानचित्र में दर्शित भूखण्ड पर भवन निर्माण अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही भवन निर्माण किया जावे।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने के पूर्व इन्दौर विकास योजना 2021 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के पालन करना आवश्यक होगा।
3. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 22 की कंडिका 3(1) के अनुसार बिल्डिंग लाईन मन्टेन की जाना आवश्यक होगा।
4. विलयन के पश्चात् गठित भूखण्ड में अनुज्ञेय निवास ईकाईयों की संख्या, उन भूखण्डों के, जिनका की विलियन किया गया था, अनुज्ञेय निवास ईकाईयों के योग से अधिक नहीं होगी।
5. प्रस्तावित भूखण्ड का तल क्षेत्र अनुपात के संबंध में सम्पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् ही शेष पर भवन अनुज्ञा जारी की जावे।
6. विषयांकित भूमि के भूखण्ड क्रमांक 02 पर पूर्व से निर्माण होने से आवेदक को विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व किये गये निर्माण को तोड़ना/समतल करना आवश्यक होगा। इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ क्रमांक 17546/20 दिनांक 05/10/2020 प्रस्तुत किया गया है।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन की दशा में अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या भूमि स्वामित्व विवाद होने पर यह अनुज्ञा स्वमेव प्रभाव शून्य मानी जावेगी।  
संलग्न- मानचित्र।

संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
इन्दौर म.प्र.

क्रमांक / /INDLP-6967 / MERGER / 20 / नगानि / 2020 इंदौर, दिनांक  
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क व सेवाकर, माणिकबाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. तहसीलदार, तहसील इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. वरिष्ठ पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट [www.empownplan.gov.in](http://www.empownplan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न- मानचित्र।

Signature valid

Digitally signed by S.K. Mudgal  
Date: 2020.11.10 15:57:52 IST

संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
इन्दौर म.प्र.


He.

INDP-6967

Joint Director  
Town & Country Planning  
Indore (M.P.)

Asst. Director  
Town & Country Planning  
Indore (M.P.)


विजय जलप  
उपयंत्री




Signature Not Verified  
Digitally signed by S.K. Mudgal  
Date: 2020.11.10 15:59:38 IST



LOCATION PLAN



SITE PLAN



SCALE - 1 : 1000

PROPOSED SITE PLAN

FOR MERGER OF PLOT NO 2, 5, 6 & 7  
AT R. K. PURAM COLONY, A. B. ROAD INDORE

LAND OWNERS

- (01) MR. SURESH S/O LATE MR. NARENDRA SINGH BHADORIYA
- (02) MRS. ARUNA W/O MR. SURESH BHADORIYA
- (03) MR. SANJAY SINGH S/O MR. NARENDRA SINGH BHADORIYA  
ADD - 9, GULAMOHAR COLONY, INDORE (M.P.)

AREA STATEMENT

- AREA OF PLOT NO 2	= 934.82 SM.
- AREA OF PLOT NO 5	= 223.04 SM.
- AREA OF PLOT NO 6	= 256.42 SM.
- AREA OF PLOT NO 7	= 250.84 SM.
- AREA AFTER MERGER	= 1665.12 SM.
- AREA UNDER ROAD	= 371.12 SM.
- BALANCE LAND AREA	= 1294.00 SM.

NORTH



OWNERS SIGN

*(Handwritten signatures)*

ENGINEER'S SIGN

FOR INTERFERENCE RIGHTS  
PARTNER *(Signature)* PARTNER *(Signature)*

*(Handwritten notes)*